भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1282
उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए स्कूल शिक्षकों की तैनाती

†1282. **श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के रूप में या निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित किसी अन्य कर्तव्य के लिए तैनात किए गए सरकारी स्कूल के शिक्षकों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा शिक्षण, छात्रों के अधिगम परिणामों और शिक्षकों की उपलब्धता पर इस तरह की तैनाती के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;
(ग) क्या सरकार को ऐसी तैनाती के कारण शैक्षणिक कार्यकलापों में व्यवधान के संबंध में शिक्षकों, स्कूल प्रबंधनों, अभिभावकों या राज्य सरकारों से कोई प्रतिवेदन या शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) शिक्षकों को चुनावी कार्य के लिए वैकल्पिक कर्मियों की तैनाती सहित शिक्षण कार्यों से इतर तैनाती को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार, शिक्षकों की तैनाती और उन्हें दिये गए कार्यों जिनमें चुनावी प्रयोजन भी शामिल है संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सरकारी स्कूल शिक्षकों को बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के रूप में तैनात करने अथवा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित कर्तव्यों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना की जानकारी नहीं रखता है।

इसके अतिरिक्त, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 06-12-2007 के अपने निर्णय में चुनाव संबंधी कर्तव्यों के लिए शिक्षकों की मांग हेतु भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की कि ऐसी तैनाती इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे स्कूलों के कार्यकरण और बच्चों की शिक्षा के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। माननीय न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि जहां तक व्यवहार्य हो, कर्तव्यों जैसे मतदाता सूचियों में संशोधन को छुट्टियों, गैर-शिक्षण घंटों या गैर-कार्य दिवसों के दौरान सौंपा जाना चाहिए ताकि शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में व्यवधान को कम किया जा सके।

उपर्युक्त के अनुसरण में, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 13-09-2010 को दिशा-निर्देश जारी किए थे जिनमें सलाह दी गई थी कि जहां तक संभव हो निर्वाचक नामावलियों के संशोधन से संबंधित कार्य अवकाशों, गैर-शिक्षण घंटों अथवा गैर-कार्य दिवसों के दौरान शिक्षकों को सौंपे जाने चाहिए। इसे समय-समय पर सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में दोहराया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि शिक्षकों को अपनी मुख्य शैक्षणिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए और उन पर अत्यधिक गैर-शिक्षण कार्य का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए ताकि वे कक्षा निर्देश, पाठ की तैयारी, छात्र मूल्यांकन और निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए पर्याप्त समय दे सकें।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) सहित शैक्षिक सहायता संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ब्लॉक संसाधन केन्द्रों (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन केन्द्रों (सीआरसी) के माध्यम से निरंतर शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत प्रशासनिक दक्षता में सुधार और शिक्षकों पर परिहार्य प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन और डिजिटल स्कूल प्रबंधन प्रणालियों में भी सहायता की जाती है।

इसके अलावा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों, समीक्षा बैठकों और अन्य पत्राचार के माध्यम से नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देता है कि वे शिक्षकों की समय पर भर्ती, तर्कसंगत तैनाती और मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करें और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं जिससे शिक्षक शिक्षण-अधिगम गतिविधियों के लिए अधिक समय दे सकें।
